



प्रति,

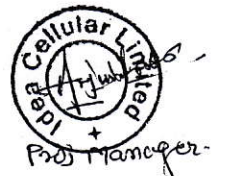
श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी,
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतुल,
सामान्य वनमंडल (म.प्र.)

विषय—उपरोक्त दर्शाये गई क्रमांक 1 से 13 तक की सभी शर्तें मुझे पूर्ण रूप से मंजूर हैं, इन्हीं शर्तों के आधार पर मे कार्य करने के लिये सहमत हूँ ।

संदर्भ—प्रकरण क्रमांक—FP/MP/others/29682/2017.

वचन—पत्र

1. वनभूमि व्यपवर्तन की यह स्वीकृति केवल मार्ग के किनारे—किनारे “राइट ऑफ वे” तथा उपरोक्त दर्शित जी.पी.एस. रीडिंग के अंतर्गत आने वाली वनभूमि के लिए ही दी जा रही है (राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे—किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है)।
2. वनभूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिये खोदी गई खन्ति का आकार 1.65 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। यदि 0.50 मीटर चौड़ाई एवं 1.65 मीटर गहराई से अधिक खुदाई पायी गई, तो नियमानुसार प्रचलित वन विधानों के अंतर्गत संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
3. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
4. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
5. बिछाई गई भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन के रखरखाव की अनुमति आवेदक संस्थान द्वारा मांग करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पृथक से दी जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ति के निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण का कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।
8. नाली खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ति में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा और न ही किसी भी वृक्षों की कटाई छटाई की जावेगी।
9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या भूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
10. यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश, क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं अधोहस्ताक्षर (वनमंडलाधिकारी) द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो यह शर्त संस्थान को मान्य होगी।
11. यह स्वीकृति “राइट ऑफ वे” के तहत केवल वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि के लिए जारी की जा रही है, यदि प्रकरण में राजस्व वनभूमि प्रभावित होती है तो आवेदक संस्थान इसके लिये जिम्मेदार होगा।
12. यदि आवेदक संस्थान द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त माना जावेगी, तथा संस्थान के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. प्रकरण में 100 रु. की राशि ऑनलाईन कैम्पा खाते के Others मद में जमा करना सुनिश्चित करें। - प्राप्त कर दिया गया है
टाकान की प्रति संलग्न है।



Idea Cellular Limited: 139-140, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore 452 010, M.P., India Website: www.ideacellular.com
Telephone: +91 731 4031414. Fax: +91 731 2551304. Email: ccare.mp@idea.adityabirla.com. Corporate Identification Number: L32100GJ1996PLC030976

Registered Office: Suman Tower, Plot No. 18, Sector No. 11, Gandhinagar 382011 Telephone: +91 6671 4000 Fax: +91 79 2323 2251